न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22 / 2016

निर्मला देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर ....वादिया

बनाम

1– कोकसिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल
2– जाहरसिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल
3– बीरवल पुत्र श्री इन्द्रपाल
4– रामप्रसाद पुत्र श्री इन्द्रपाल
5– रामजीलाल पुत्र श्री गेंदा

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण सत्तर का पुरा मजरा डण्डौली तहसील मनियां जिला ....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बेदखली अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति : **सुश्री इन्द्रा शर्मा एडवोकेट,वादिया**

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

निर्णय **दिनांक : 16.05.2025**

वादिया ने प्रतिवादीगण के खिलाफ राजस्व वाद वावत् बेदखली न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1705 रकवा 06 विस्वा बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां व जिला धौलपुर के वादिया खातेदार कृषक है। मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 1706 एवं 1707 लगे हुए है। प्रतिवादीगण कुशवाह जाति के कट्टर व गिरोबंद व्यक्ति हैं जिन्होंने वादिया की आराजी को जबरन हड़पने के लिए करीब 2 माह पूर्व अनाधिकृत रूप से नींव भर दी एवं अभी 15 दिवस पूर्व एक झोंपड़ी वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य के खसरा नम्बर 1705 रकवा 6 विस्वा मं डाल दी और ईट पत्थर जमा करने शुरू कर दिये हैं और वे मौके पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। इसकी शिकायत वादिया ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिनाकिंत 24.08.2017 प्रस्तुत करके की जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार धौलपुर से जॉच कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किया, तहसीलदार धौलपुर ने उक्त पत्र पटवारी को भेजा तो उसने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने में असमर्थता प्रकट कर दी। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हित, अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है लेकिन प्रतिवादीगण ताकत के बल पर अनाधिकृत रूप से वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी पर कब्जा कर रहे है। और आराजी वादिया को हड़पने के लिए पुख्ता निर्माण करने पर उतारू है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादिया अपने स्वामित्व व आधिपत्य के उक्त खसरा नम्बर 1705 रकवा 6 विस्वा बाकै ग्राम मनियां वादिया के आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें एवं उसे काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। वादकारण वास्ते दायरी दावा प्रतिवादीगण द्वारा जो पुख्ता नींव भर दी है और झोपड़ी डाल दी है उसे मौके से हटवा कर अपना वास्तिविक व भौतिक कब्जा प्राप्त करने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से उनके वकील उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.12.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं उनके अभिभाषक में से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने व कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 72, नक्शा लट्ठा ग्राम मनियां, की प्रति एवं असल मुख्त्यार नामा खास पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

वकील वादिया ने बहस कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध हाजा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादिया की आराजी में यदि प्रतिवादीगण ने स्थाई निर्माण कर लिया तो वादिया को भारी नुकसान होगा। विवादित आराजी खसरा नम्बर 605 के वादिया अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई हित निहित नहीं है। फिर भी जबरन झोपडी व पत्थर बगैरा डाल रखे है। विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करने, व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक वादिया की एकपक्षीय वहस सुनी। प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादिया ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। धारा 183 के अधीन अनुतोष पाने के लिये वादीगण को स्वंय को टेनेन्ट एवं हित सावित करना आवश्यक होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 72 के अनुसार वादिया का विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार व काबिज होना वखूवी सावित होता है। चूंकि वादिया विवादित आराजी की अभिलिखित खातेदार कृषक है। जिस कारण वादीगण धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण बेदखल कराने व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 605 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां व जिला धौलपुर पर यदि प्रतिवादीगण द्वारा झोपड़ी या कोई पुख्ता निर्माण कर लिया हो तो उसे ध्वस्त करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 605 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां व जिला धौलपुर पर वादिया के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें। और विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 22 / 2018

निर्मला देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर ………वादिया

बनाम

1– कोकसिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल
2– जाहरसिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल
3– बीरवल पुत्र श्री इन्द्रपाल
4– रामप्रसाद पुत्र श्री इन्द्रपाल
5– रामजीलाल पुत्र श्री गेंदा

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण सत्तर का पुरा मजरा डण्डौली तहसील मनियां जिला धौलपुर ……..प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बेदखली अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई श्री इन्द्रा शर्मा एडवोकेट व मिनजानिब मुद्दायलह ++++पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 605 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां व जिला धौलपुर पर यदि प्रतिवादीगण द्वारा झोपड़ी या कोई पुख्ता निर्माण कर लिया हो तो उसे ध्वस्त करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 605 बाकै ग्राम मनियां तहसील मनियां व जिला धौलपुर पर वादिया के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें। और विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मु0)
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी प्रथम
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)